संविधान की शक्ति और चुनौती

हिंदी विवेक
WE WORK FOR A BETTER WORLD
Issue : 22 - 28 November 2026



राष्ट्रीय भावनाओं को जाग्रत करनेवाली
सामाजिक व पारिवारिक पत्रिका

हिंदी विवेक
We Work For Better World

पंजीयन करें

सेवा विवेक ग्रंथ

मौलिक एवं संग्रहणीय ग्रंथ, स्वयं एवं परिजनों के लिए पंजीयन करें

ग्रंथ प्रकाशन का उद्देश्य


भारत की आत्मा ...सेवा। जो केवल सहायता या दान नहीं है।

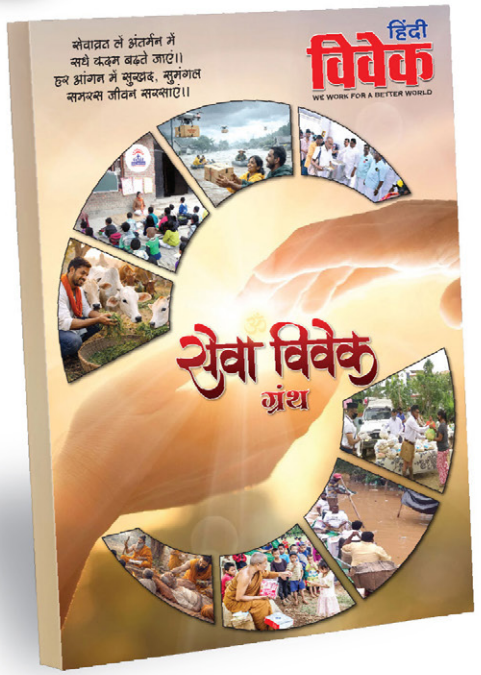

सेवा का सही अर्थ है कर्तव्य, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व का समन्वय।


सेवा को भावनात्मक कार्य से आगे ले जाकर विचारशील, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना।


सेवा के पीछे की भारतीय दृष्टि, प्रेरणा और दर्शन को उजागर करना।


इस विचार को बल देना कि सेवा व्यक्ति को संस्कारित कर समाज को संगठित एवं सशक्त करने का प्रभावी माध्यम है।


आदर्श सेवा कार्यों को संकलित कर समाज के प्रबुद्ध पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना।



ग्रंथ का मूल्य
₹ 700/-

देश के गणमान्य विशेषज्ञों एवं लेखकों की कलम से समृद्ध विषय वस्तु से परिपूर्ण ग्रंथ

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद कृपया 9594991884 पर कॉल करके सूचित करें या व्हाट्सअप करें।

Draft or Cheque should be drawn in the name of : HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank : State Bank of India
Branch : Charkop
A/C No. : 43884034193
IFSC : SBIN0011694

स्थानीय प्रतिनिधि से सम्पर्क करें
कार्यालय : सहारा नांगरे - 9594991884
Email : hindivivekvargani@gmail.com

अनुक्रमणिका

संविधान की सप्तशक्तियां	रमेश पतंगे	04
सम+विधान एक राष्ट्र-एक कानून	डॉ. एस. के. द्विवेदी	06
संविधान समिति और सरदार पटेल का योगदान	एड. गिरिजेश त्रिपाठी	08
संविधान की आड़ और संविधान विरोधी कार्य	कुलदीप नागेश्वर पवार	11
भारत-आसियान सम्बंध और सहयोग	आलोक शर्मा	13
जम्मू-कश्मीर: अब नहीं रहा कोई स्थानीय आतंकी	मृत्युंजय दीक्षित	15
भीम-मीम : समाज विभाजन का प्रयोग	भास्कर दूबे	18
दिल्ली प्रदूषण: समस्या और समाधान	सुभाष चंद्र लखेड़ा	20
पारम्परिक भोजन की ओर लौटते युवा	घनश्याम गुप्त	23
एजेंडाधारी फिल्म	सर्वेश तिवारी 'श्रीमुख'	25
इतिहास, विचारधारा और तथ्यों का टकराव	सोनम लववंशी	26
समाचार	संकलन	28

पंजीयन शुल्क

वार्षिक मूल्य : 500 रुपये, त्रैवार्षिक मूल्य : 1200 रुपये
पंचवार्षिक मूल्य : 1800 रुपये, आजीवन मूल्य : 25,000 रुपये

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

कार्यालय : प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर-10, सेक्टर-2, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे, हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई- 400067 फोन नं. : 022-28675299, 022-28678933



रमेश पतंगे

कानून का शासन, शासन में सभी को समान अवसर, सर्वसमावेशिता, देश की राजनीतिक एकता, सामाजिक एकता का निर्माण, स्वतंत्र न्यायपालिका और राष्ट्रीयता की भावना, ये संविधान की वे सप्तशक्तियां है, जिनसे देश का गणतंत्र सुरक्षित है।

संविधान की सप्तशक्तियां



स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। ऐसा ही दूसरा दिन 26 जनवरी है। इस दिन भारत गणतंत्र बना। गणतंत्र का अर्थ है कि प्रजा ही राजा होगी और समस्त सत्ता का स्रोत प्रजा ही होगी। यह गणतंत्र भारतीय संविधान से निर्मित हुआ। इस संविधान को 26 नवम्बर 1949 को स्वीकार किया गया था, इसलिए 26 नवम्बर का दिन देशभर में 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है। संविधान को स्वीकार किए हुए अब 77 वर्ष हो गए हैं। इस संविधान में समय के अनुसार अनेक संशोधन होते रहे हैं। इसे संविधान की लचीलापन कहा जाता है। समय के अनुसार संशोधन होते रहने के कारण इस संविधान को जैविक संविधान माना जाता है। केंद्र से कांग्रेस की सत्ता 2014 में चली गई, तभी से 'संविधान बदल दिया जाएगा' ऐसा झूठा प्रचार जोर-शोर से शुरू हो गया। भाजपा को सत्ता में आए अब 12 वर्ष हो रहे हैं। संविधान जहां था, वहीं है। लाल संविधान हाथ में लेकर घूमने वाले सड़कों पर हैं और भाजपा सत्ता में है। संविधान बदल दिया जाएगा, इस बात को बार-बार दोहराने का काम इसी तरह चलता रहेगा। समझदार व्यक्ति को इस पर गम्भीरता से विचार नहीं करना चाहिए। हमारे संविधान के कुछ शक्ति-केंद्र हैं। उन पर सभी को निरंतर विचार करना चाहिए।

हमारे संविधान की पहली शक्ति : कानून का शासन

हमारे संविधान ने देश में कानून के शासन की अवधारणा को स्थापित किया है। कानून के शासन का अर्थ यह है कि राज्य किसी व्यक्ति की मनमर्जी या किसी राजनीतिक दल के बहुमत के आधार पर नहीं चलेगा। संविधान वह कानून है, जो बताता है कि शासन कैसे चलाया जाना चाहिए। शासन संविधान के कानून के अनुसार चलेगा, यही कानून के शासन का अर्थ है।

हमारे संविधान की दूसरी शक्ति: शासन में सभी को समान अवसर

हमारे संविधान की दूसरी शक्ति शासन व्यवस्था में सभी को सहभागी होने का समान अवसर देना है। एक समय कुछ परिवार ही शासन करते थे। संविधान को यह वंशवाद स्वीकार नहीं है। अब कुछ नए राजनीतिक परिवार भी उभरे हैं, किंतु केवल वंशवाद के कारण कोई सत्ता में नहीं आता। लाल बहादुर शास्त्री सामान्य परिवार से थे। वे देश के प्रधान मंत्री बने। चौधरी चरण सिंह किसान थे, वे भी देश के प्रधान मंत्री बने। मायावती दलित समाज से हैं, वे उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्य मंत्री रहीं। नरेंद्र मोदी सामान्य परिवार से आए, वे हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं। यही हमारे संविधान की शक्ति है।

हमारे संविधान की तीसरी शक्ति : सर्वसमावेशिता

हमारे संविधान की तीसरी शक्ति उसकी सर्वसमावेशिता है। भारत में जितनी विविधता है, उतनी विविधता दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं है। भारत अनेक भाषाएं बोलने वालों का देश है। प्रत्येक प्रदेश की अपनी अलग पहचान है। पहनावे अलग-अलग हैं। खान-पान की आदतें अलग हैं। लोकसंगीत अलग है। नृत्य के प्रकार अलग-अलग हैं। उपासना और पंथों की विविधता है। ऐसी विविधता से सजे देश को राजनीतिक रूप से एकजुट रखने का काम हमारे संविधान ने किया है। दुनिया के किसी अन्य देश के संविधान में इस प्रकार की शक्ति नहीं है।

हमारे संविधान की चौथी शक्ति : देश की राजनीतिक एकता

हमारे संविधान की चौथी शक्ति देश की राजनीतिक एकता में है। प्राचीन काल से भारतीय लोग सांस्कृतिक दृष्टि से एक ही रहे हैं। यह सांस्कृतिक एकता ऋषि-मुनियों, साधु-संतों, रामायण, महाभारत, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक और संत परम्परा ने निर्मित की है। इसका श्रेय किसी राजवंश या राजसत्ता को नहीं दिया जा सकता। सांस्कृतिक दृष्टि से हम एक होने के बावजूद इतिहास के कालखंड में हमारा देश छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित था। इस तरह विभाजित होने के कारण हम विदेशी आक्रमणकारियों के सामने कमजोर सिद्ध हुए। इसके परिणामस्वरूप हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खो दी। भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इसलिए हमारे संविधान के शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर ने देश को मजबूत केंद्र सत्ता वाली शासन व्यवस्था प्रदान की। आज भारत राजनीतिक दृष्टि से दुनिया का एक शक्तिशाली देश है। इसका श्रेय हमारे संविधान को देना होगा।

हमारे संविधान की पांचवीं शक्ति: सामाजिक एकता का निर्माण

हमारे संविधान का पांचवां शक्ति-स्थल हमारे समाज में सामाजिक एकता का निर्माण करना है। हमारे देश में सभी समाजों में जातियां हैं और इसी तरह जातियों का ऊंच-नीच का क्रम भी है। समाज का एक बड़ा वर्ग अस्पृश्य माना जाता है। इसी तरह एक बड़ा समाज घुमंतू है। जंगलों में रहने वाले वनवासी हैं। अलग-अलग जातियों के बीच आपसी सामाजिक सम्बंध कम होते हैं। कुछ जातियों को ऐसा लगता है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। अन्य जातियों के साथ उनकी बराबरी नहीं हो सकती। इसे जातीय अहंकार कहते हैं। ऐसे अहंकार सामाजिक एकता में बाधक होते हैं। हमारा संविधान जातिभेद को नहीं मानता। अस्पृश्यता को नहीं मानता। कानून के सामने सभी समान होंगे, यह संविधान का समानता का संदेश है। इसी तरह स्त्री-पुरुष समानता भी संविधान की एक शक्ति है।

हमारे संविधान की छठी शक्ति : स्वतंत्र न्यायपालिका

हमारे संविधान की छठी शक्ति उसकी स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है। इसका अर्थ है कि न्यायालयों के कामकाज में राज्यसत्ता अपनी इच्छानुसार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय स्वतंत्र होते हैं। ये निर्णय संविधान की धाराओं का अर्थ स्पष्ट करने और उनके अर्थ का विस्तार करने वाले होते हैं। केशवानंद भारती मुकदमा, मिनर्वा मिल मुकदमा, मेनका गांधी मुकदमा आदि इसके उदाहरण हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान का सुरक्षा कवच होती है।

हमारे संविधान की सातवीं शक्ति
एकराष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करना

हमारे संविधान की सातवीं शक्ति यह है कि उसने देश में एकराष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। एकराष्ट्रीयता का अर्थ है कि हम भारतीय हैं, भारत हमारा देश है, भारत हमारी मातृभूमि और जन्मभूमि है, भारत का गौरव ही मेरा गौरव है, भारतीय सीमाओं की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है और भारतीय जीवन मूल्यों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। ऐसी एक जैसी भावना सभी के मन में होना ही एकराष्ट्रीयता कहलाती है।

हमारे संविधान ने इस एकराष्ट्रीयता की भावना को अत्यंत मजबूत किया है।

अंग्रेजों के शासनकाल में मराठों की पराजय हुई तो उसका दुख सिखों को नहीं होता था अथवा सिख पराजित हुए तो बंगाली व्यक्ति को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज ऐसी भावना नहीं रह गई है। इसीलिए कैप्टन स्मित मच्छार जैसा एक वैमानिक सभी भारतीयों का हीरो बन जाता है अथवा क्रिकेट में मिली जीत केवल खेलने वाले खिलाड़ियों की जीत नहीं रह जाती बल्कि वह पूरे देश की जीत बन जाती है। यही हमारे संविधान की शक्ति है। संविधान दिवस पर हमें इन सातों शक्तियों का स्मरण करना चाहिए। यही संविधान का गौरव है।

•••

चुनौती



डॉ. एस. के. द्विवेदी



देश के प्रत्येक राज्य के अलग-अलग कानून से केवल नागरिक ही नहीं बल्कि रोजगार, व्यवसाय एवं उद्योग जगत से जुड़े सभी प्रभावित होते हैं। अत: एक देश, एक कानून और समान नागरिक कानून- यह केवल नारा नहीं बल्कि समानता पर आधारित आधुनिक भारत की संवैधानिक आकांक्षा होनी चाहिए।

सम+विधान एक राष्ट्र-एक कानून

भारत का संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं बल्कि एक आधुनिक, समतामूलक और न्यायपूर्ण राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। संविधान अर्थात 'सम+विधान'- सबके लिए समान व्यवस्था, समान अवसर और समान न्याय की परिकल्पना, परंतु प्रश्न यह है कि जब संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, तब नागरिकों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन से जुड़े कानूनों में धर्म, परम्परा और समुदाय के आधार पर भिन्नता क्यों बनी रहनी चाहिए? क्या समय के साथ संविधान की व्यवस्थाओं, उनकी कमियों और चुनौतियों की समीक्षा तथा आवश्यक सुधार नहीं होने चाहिए?

संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है। वह एक जीवंत व्यवस्था है, जिसे बदलते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश के अनुरूप प्रासंगिक बनाए रखना आवश्यक है। संविधान निर्माताओं ने भी इसी दूरदर्शिता के साथ संशोधन की व्यवस्था की थी। अब तक 106 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। इसका अर्थ है कि राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप समीक्षा, संशोधन और परिवर्तन लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। वहीं अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। इसके बावजूद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत और पारिवारिक अधिकारों जैसे विषयों पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं। संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का हिस्सा है। प्रश्न यह है कि संविधान की इस स्पष्ट मंशा को व्यवहार में लाने की दिशा में ठोस और सर्वसम्मत पहल कब होगी?

हर राज्य, शहर और जिले में अलग-अलग नागरिक कानून क्यों?

भारत की सांस्कृतिक विविधता उसकी शक्ति है, पर विविधता और कानूनी असमानता को एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता। खान-पान, भाषा, पहनावा, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक परम्पराओं में भिन्नता हमारी पहचान हैम, किंतु नागरिक अधिकारों और न्याय के मामले में समानता भी उतनी ही आवश्यक है। एक ही देश के नागरिकों के विवाह, तलाक, सम्पत्ति और उत्तराधिकार सम्बंधी अधिकार केवल उनके धर्म या समुदाय के आधार पर अलग-अलग क्यों निर्धारित हों?

संघीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को अनेक विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कानूनों में अंतर होना अस्वाभाविक नहीं है, परंतु नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के मामले में अत्यधिक कानूनी विविधता न्याय की समानता और राष्ट्रीय एकरूपता के सामने चुनौती खड़ी करती है। एक देश, एक संविधान और एक नागरिकता की अवधारणा को समान नागरिक अधिकारों की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए।

गोवा का उदाहरण और समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता को भारत की सामाजिक परिस्थितियों में असम्भव बताने वालों के लिए गोवा एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। गोवा में पुर्तगाली शासनकाल से चली आ रही 1867 की पुर्तगाली नागरिक संहिता स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। आज वहां विभिन्न धर्मों के नागरिकों पर विवाह, सम्पत्ति और उत्तराधिकार जैसे विषयों में एक साझा नागरिक कानून व्यवस्था लागू होती है, हालांकि इसमें कुछ सीमित अपवाद और समुदाय-विशेष के अधिकार भी उपस्थित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जोसे पाउलो कुटिन्हो बनाम मारिया लुइजा वैलेंटिना परेरा (2019) के निर्णय में गोवा की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए इसे समान नागरिक संहिता का उल्लेखनीय उदाहरण माना था। इससे स्पष्ट है कि भारत में साझा नागरिक कानून की अवधारणा न तो नई है और न ही अव्यावहारिक। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू होना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है।

समानता, न्याय और महिला सशक्तीकरण का आधार

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य किसी धर्म, समुदाय या परम्परा को समाप्त करना नहींम बल्कि नागरिक अधिकारों को समान आधार प्रदान करना होना चाहिए। विशेषकर महिलाओं के विवाह, तलाक, भरण-पोषण, सम्पत्ति और उत्तराधिकार सम्बंधी अधिकारों में समानता सुनिश्चित करना इसका महत्वपूर्ण पक्ष है। कानून की दृष्टि में किसी महिला या पुरुष के अधिकार का निर्धारण उसके जन्मे हुए धर्म या समुदाय से नहष बल्कि समान नागरिकता और न्याय के सिद्धांत से होना चाहिए। हालांकि समानता के नाम पर किसी समुदाय की पहचान, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों की अनदेखी भी उचित नहीं होगी। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता का निर्माण व्यापक संवाद, विधिक परीक्षण और सभी समुदायों की भागीदारी से होना चाहिए। आदिवासी समुदायों और विशिष्ट परम्पराओं से जुड़े संवैधानिक संरक्षणों का भी समुचित ध्यान रखना होगा।

सुधार का समय अब है

आज आवश्यकता किसी राजनीतिक विमर्श या धार्मिक प्रतिस्पर्धा की नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों को व्यवहार में उतारने की है। समान नागरिक कानून पर राष्ट्रीय स्तर पर गम्भीर चर्चा होनी चाहिए। विधि आयोग, न्यायविदों, महिला संगठनों, सामाजिक प्रतिनिधियों और सभी समुदायों को साथ लेकर एक ऐसा कानून तैयार किया जाए, जो समानता के साथ न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा की भी रक्षा करे।



भूमिका



एड. गिरिजेश त्रिपाठी

संविधान दिवस के अवसर पर हमें यह समझना चाहिए कि संविधान की वास्तविक शक्ति केवल उसके प्रावधानों में नहीं बल्कि उन संस्थाओं की निष्पक्षता, नागरिकों की समानता और राष्ट्रीय एकता में भी निहित है, जिनके आधार पर लोकतंत्र जीवित रहता है। यही सरदार पटेल के संवैधानिक योगदान का स्थायी संदेश है।

संविधान समिति और सरदार पटेल का योगदान



भारत की स्वतंत्रता और संविधान निर्माण की चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ. भीमराव आम्बेडकर के नाम हमारे सामने आते हैं। इन महान व्यक्तित्वों का योगदान निर्विवाद है, पर संविधान निर्माण के इतिहास में सरदार वल्लभभाई पटेल की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सामान्यतः सरदार पटेल को देशी रियासतों के एकीकरण और भारत की राजनीतिक एकता के लिए याद किया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि स्वतंत्र भारत की संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत आधार देने में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है।

संविधान निर्माण केवल कानून की धाराएं लिखने का काम नहीं था। सदियों की पराधीनता से मुक्त हुए देश में ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी थी, जिसमें विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों को समान अधिकार मिलें तथा देश की एकता भी सुरक्षित रहे। विभाजन की पीड़ा, सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक असमानताओं के बीच यह कार्य अत्यंत कठिन था। सरदार पटेल ने इन चुनौतियों को समझते हुए संविधान सभा में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया।

संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों में भूमिका

संविधान सभा ने विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। इनमें 24 जनवरी 1947 को गठित मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय एवं अपवर्जित क्षेत्रों से सम्बंधित सलाहकार समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया। यह समिति संविधान निर्माण की

अत्यंत महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय क्षेत्रों से सम्बंधित अलग-अलग उपसमितियां बनाई गई थीं। इन समितियों में देश के अनेक प्रमुख संविधान निर्माता शामिल थे। सरदार पटेल के सामने चुनौती थी कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी हो और ऐसी कोई व्यवस्था भी न बने, जो भविष्य में राष्ट्रीय एकता के लिए समस्या पैदा करे। उन्होंने विभिन्न पक्षों के बीच सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रांतीय संविधान समिति और संघीय व्यवस्था

सरदार पटेल की एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में थी। संविधान सभा ने 30 अप्रैल 1947 को इस समिति का गठन किया था। इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत के प्रांतों की शासन व्यवस्था के लिए संवैधानिक प्रावधानों का स्वरूप निर्धारित करना था। समिति ने प्रांतीय कार्यपालिका, विधानमंडल, राज्यपाल की स्थिति तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया। उस समय यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था कि स्वतंत्र भारत में प्रांतों को किस प्रकार की स्वायत्तता दी जाए और उनकी शासन व्यवस्था किस आधार पर संचालित हो। सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रांतों में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। इनमें निर्वाचित विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की व्यवस्था विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। इन सिफारिशों ने आगे चलकर राज्यों की कार्यपालिका और विधायिका से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधानों को तैयार करने में महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। सरदार पटेल का दृष्टिकोण स्पष्ट था कि भारत की विविधताओं को देखते हुए प्रांतों को उचित अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक स्थिरता भी सुरक्षित रहनी चाहिए। उनके लिए संघीय व्यवस्था का अर्थ केंद्र और राज्यों के बीच केवल अधिकारों का विभाजन नहीं बल्कि परस्पर सहयोग के आधार पर एक संगठित राष्ट्र का निर्माण भी था।

मौलिक अधिकारों के निर्धारण में योगदान

स्वतंत्र भारत में नागरिकों को कौन-कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे, यह संविधान सभा के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीयों ने नागरिक स्वतंत्रताओं पर अनेक प्रतिबंधों का अनुभव किया था। इसलिए स्वतंत्र भारत के संविधान में अधिकारों की स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक थी।

सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति ने मौलिक अधिकारों से सम्बंधित उपसमिति की सिफारिशों पर विचार करके अप्रैल 1947 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस प्रक्रिया ने संविधान में नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों के स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मौलिक अधिकारों का निर्माण किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं था। आचार्य जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता वाली उपसमिति, डॉ. आम्बेडकर, के.एम. मुंशी तथा अन्य सदस्यों ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरदार पटेल की विशेष भूमिका इन विचारों को व्यापक सहमति के साथ आगे बढ़ाने की थी।

यहां सरदार पटेल के योगदान का वास्तविक महत्व समझना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी, लेकिन सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की विशेष परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं की। इस प्रकार उनके प्रयासों में राजनीतिक एकता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने की भावना दिखाई देती है।

असम के जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में गोपीनाथ बोरदोलोई की अध्यक्षता वाली उपसमिति तथा अन्य क्षेत्रों के संबंध में ए.वी. ठक्कर की अध्यक्षता वाली उपसमिति ने महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। इन प्रयासों ने आगे चलकर संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची से संबंधित व्यवस्थाओं की पृष्ठभूमि तैयार की। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकता के साथ स्थानीय विविधताओं को भी महत्व दिया।

सरदार पटेल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 312 की व्यवस्था इसी व्यापक संवैधानिक ढांचे का हिस्सा है।

राजनीतिक एकीकरण और संविधान की सफलता

सरदार पटेल के संवैधानिक योगदान को देशी रियासतों के एकीकरण से अलग करके नहीं देखा जा सकता। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने सैकड़ों रियासतों के भविष्य का प्रश्न था। यदि उनका एकीकरण नहीं होता, तो एक संगठित और प्रभावी संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करना अत्यंत कठिन होता। सरदार पटेल ने वी.पी. मेनन तथा अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर रियासतों के भारत में विलय और एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इस ऐतिहासिक कार्य ने भारतीय संघ को राजनीतिक और भौगोलिक आधार प्रदान किया। इस प्रकार संविधान सभा के भीतर उनका कार्य और देश के एकीकरण में उनकी भूमिका एक-दूसरे के पूरक थे। भारतीय संविधान की सफलता किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि अनेक महान व्यक्तित्वों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।

●●●


पितांबरी
देवभक्ती
अगरबत्ती
With Natural Ingredients
मनाएँ दीपावली
का त्योहार,
प्राकृतिक सुगंध
के साथ!
दीपावली की मंगलमय
शुभकामनाएँ !
चंदन
गुलाब
मोगरा
अनुभव करें भक्ति की शक्ति!
Pitambari Products Pvt. Ltd.
Maharashtra: 8291853804, North: 7011012599, South: 9886553105,
East: 7752023380, 9867102999, CRM: 022 - 67035564/5699
Toll Free: 18001031299
Visit: www.pitambari.com | CIN: U52291MH1989PTC051314

विमर्श

संविधान की आड़ और संविधान विरोधी कार्य



कुलदीप नागेश्वर पवार

संविधान का सम्मान केवल उसकी प्रति हाथ में लेकर, उसके नाम का उल्लेख करके अथवा सार्वजनिक मंचों पर संवैधानिक मूल्यों की घोषणा करके सिद्ध नहीं होता। उसका वास्तविक सम्मान नागरिक व्यवहार, लोकतांत्रिक संवाद, कानून के प्रति प्रतिबद्धता और अधिकारों एवं कर्तव्यों के संतुलित निर्वहन में दिखाई देता है।

भारतीय संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तम्भ है। यह प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने विचार रखने का अवसर देता है, किंतु विडम्बना यह है कि आज कुछ राजनीतिक शक्तियां और तथाकथित आंदोलनजीवी समूह इसी संविधान की आड़ लेकर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते दिखाई देते हैं, जो संविधान की मूल भावना और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत हैं। संविधान का नाम लेना और उसके मूल्यों का सम्मान करना दो अलग-अलग बातें हैं।

लोकतंत्र की पराजय को अराजकता से बदलने का प्रयास

लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करने का मार्ग जनता का विश्वास और चुनाव है। जनता यदि किसी राजनीतिक दल या विचारधारा को अस्वीकार कर देती है तो उसे अपनी नीतियों, नेतृत्व और कार्यशैली की समीक्षा करनी चाहिए, किंतु कुछ राजनीतिक समूह जनादेश को स्वीकार करने के बजाय सड़कों पर असंतोष को राजनीतिक अवसर में बदलने का प्रयास करते हैं। आंदोलन, धरना और प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार हैं, किंतु जब इनका उद्देश्य जनहित के बजाय निर्वाचित व्यवस्था को अस्थिर करना, संस्थाओं की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाना और समाज में अविश्वास पैदा करना बन जाए, तब इनके स्वरूप पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

ऐसे अवसरों पर कुछ आंदोलनजीवी तत्व स्वयं को जनता की आवाज बताकर



राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। सत्ता से बाहर रहने की बेचैनी को व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है। इनके साथ कुछ राजनीतिक नेता भी खड़े दिखाई देते हैं, जिनके लिए जनसमर्थन से अधिक महत्वपूर्ण विरोध के माध्यम से राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखना होता है।

विचारधारा के नाम पर अराजकता का विस्तार

किसी भी लोकतंत्र में असहमति का सम्मान आवश्यक है, पर असहमति और अराजकता में अंतर समझना भी उतना ही आवश्यक है। हिंसा, सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि, सरकारी कामकाज में बाधा, कानून-व्यवस्था को चुनौती और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाना किसी भी दृष्टि से लोकतांत्रिक आंदोलन नहीं कहा जा सकता।

कुछ कट्टरपंथी विचारधाराएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर उपलब्ध स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए उसी व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास करती हैं। वैचारिक विरोध के नाम पर संस्थाओं के प्रति अविश्वास फैलाना, युवाओं को भ्रमित करना और हर राष्ट्रीय निर्णय को संदेह के घेरे में खड़ा करना इनके विमर्श का हिस्सा बन सकता है। ऐसी प्रवृत्तियों को रूपक के रूप में 'दिमागी नक्सली' कहा जाता है।

संविधान का चयनात्मक उपयोग और दोहरा चरित्र

संविधान नागरिकों को अधिकार देता है, पर साथ ही कर्तव्यों और कानून के पालन की अपेक्षा भी करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि किसी को हिंसा भड़काने, समाज को बांटने अथवा संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने का अधिकार मिल गया है। समानता का अर्थ सभी के लिए समान कानून है और स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारी से मुक्त होना नहीं है। जब किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया जाता है, पर उन्हीं मूल्यों के अनुरूप आचरण करने से बचा जाता है, तब यह संविधान के प्रति चयनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

राजनीतिक संरक्षण और नैरेटिव की राजनीति

किसी आंदोलन को वैचारिक समर्थन देना लोकतांत्रिक अधिकार है, किंतु यदि कोई राजनीतिक नेतृत्व हिंसक गतिविधियों को उचित ठहराता है, कानून तोड़ने वालों का बचाव करता है अथवा बिना प्रमाण संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर जनता में भ्रम फैलाता है तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

आज सूचना के तीव्र प्रवाह के दौर में नैरेटिव की राजनीति एक बड़ी चुनौती बन गई है। अधूरी जानकारी, भ्रामक प्रचार और भावनात्मक नारों के माध्यम से युवाओं तथा सामान्य नागरिकों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में आवश्यक है कि नागरिक किसी भी दावे को आंख मूंदकर स्वीकार न करें बल्कि तथ्यों, प्रमाणों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर उसका मूल्यांकन करें।

संविधान विरोधी प्रवृत्तियों को पहचानना नागरिकों का दायित्व

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है और उसके साथ राष्ट्र तथा समाज के प्रति कर्तव्य भी निर्धारित करता है। इसलिए संविधान की रक्षा केवल सरकार या न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। नागरिकों को यह समझना होगा कि शांतिपूर्ण विरोध और हिंसक अराजकता एक समान नहीं हैं। सरकार की आलोचना करना लोकतंत्र का हिस्सा है, पर कानून हाथ में लेना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता।

संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा का परिचय नारों से नहीं बल्कि आचरण से मिलता है। जो व्यक्ति या संगठन संविधान की स्वतंत्रताओं का लाभ उठाते हुए दूसरों के अधिकारों का हनन करता है, हिंसा को प्रोत्साहित करता है अथवा लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास करता है, उसके आचरण की निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

संविधान की आड़ में संविधान की मूल भावना को कमजोर करने वाली प्रवृत्तियों के प्रति समाज को सजग रहना होगा। राष्ट्रहित, लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा तभी सम्भव है, जब नागरिक अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। संविधान किसी राजनीतिक स्वार्थ का हथियार नहीं बल्कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मा है।

लोकतंत्र में राजनीतिक पराजय किसी विचारधारा का अंत नहीं होती बल्कि उसे आत्ममंथन, जनसंवाद और पुनः विश्वास अर्जित करने का अवसर देती है, किंतु जब जनादेश से अस्वीकार किए गए राजनीतिक विचार जनसमर्थन प्राप्त करने के बजाय विरोध, टकराव, संस्थागत अविश्वास और विवादों के माध्यम से अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का प्रयास करते हैं, तब उनकी राजनीतिक कार्यप्रणाली पर विमर्श आवश्यक हो जाता है। विशेष चिंता तब उत्पन्न होती है, जब राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि अधिकारों की सीमा, नागरिक दायित्व और कानून के प्रति जवाबदेही गौण हो जाएं। ●●●



फिलीपींस यात्रा

इस दौरे की सबसे बड़ी तस्वीर यही रही कि भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि के लिए सहयोग आधारित व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहता है। भारत-आसियान सम्बंधों का अगला चरण इसी व्यापक सोच के साथ नई सम्भावनाओं की ओर बढ़ता दिखाई देता है।

भारत-आसियान सम्बंध और सहयोग

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को लगातार मजबूत किया है। दुनिया के अनेक देशों के साथ भारत के सम्बंधों में नई मजबूती और नए आयाम जुड़े हैं। भारत के इसी बढ़ते वैश्विक प्रभाव और मजबूत होते अंतरराष्ट्रीय सम्बंधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुआ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का फिलीपींस दौरा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16-17 नवम्बर 2026 की फिलीपींस यात्रा भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की सक्रिय भूमिका को नई मजबूती देने वाली रही। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर मनीला पहुंचे प्रधान मंत्री मोदी ने 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में भाग लिया। इस दौरान शांति, स्थिरता और सहयोग के साथ भारत-आसियान साझेदारी को नए क्षेत्रों तक विस्तार देने पर प्रमुखता से जोर दिया गया।

प्रधान मंत्री मोदी की यह यात्रा ऐसे समय हुई, जब भारत और आसियान वर्ष 2026 को 'आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष' के रूप में मना रहे हैं और वर्ष 2027 में भारत-आसियान संवाद सम्बंधों के 35 वर्ष तथा व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में यह यात्रा केवल एक शिखर सम्मेलन में भागीदारी तक सीमित नहीं रही बल्कि आने वाले वर्षों में भारत-आसियान सहयोग को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई। यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत और आसियान का भविष्य प्रतिस्पर्धा से अधिक सहयोग और साझा विकास में निहित है।



आलोक शर्मा

दौरे की खास बात यह रही कि भारत-आसियान सम्बंधों को केवल व्यापार और पारम्परिक सहयोग तक सीमित रखने के बजाय समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, युवाओं और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में व्यापकता के साथ सहयोग पर जोर दिया गया।

भारत-आसियान साझेदारी को नई दिशा

प्रधान मंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत और आसियान का भविष्य प्रतिस्पर्धा से नहीं बल्कि सहयोग से तय होना चाहिए। भारत स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और आसियान दुनिया की लगभग एक-चौथाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में दोनों के बीच सहयोग का असर क्षेत्रीय ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रधान मंत्री मोदी ने आसियान की एकता और केंद्रीयता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि आसियान





कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 दोनों पक्षों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

समुद्र से अंतरिक्ष और महत्वपूर्ण खनिजों तक सहयोग

भारत ने आसियान के साथ दीर्घकालिक समुद्री सहयोग योजना का प्रस्ताव रखा है। इसमें समुद्री कनेक्टिविटी, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक सहयोग, समुद्री क्षेत्र की जागरूकता और नाविकों की सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं। इसके साथ ही संयुक्त साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण, परमाणु ऊर्जा तकनीकी आदान-प्रदान, आसियान-भारत स्पेस हैकाथॉन तथा खनन और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रस्ताव सामने आए। प्रधान मंत्री मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत और आसियान को केवल तकनीक के उपभोक्ता नहीं बल्कि तकनीक के सह-निर्माता बनना चाहिए और अपने नागरिकों को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करना चाहिए।

युवाओं और पर्यटन पर भी फोकस

भारत-आसियान सम्बंधों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए युवा शिखर सम्मेलन, युवा संसदीय आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन जैसे कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के लिए छात्रवृत्तियां बढ़ाने तथा 2027 में होने वाले वेव्स में आसियान-भारत क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन प्रस्तावित किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आसियान देशों के पर्यटकों को मुफ्त ई-वीजा देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इससे दोनों क्षेत्रों के बीच सम्पर्क और सांस्कृतिक सम्बंधों को और मजबूती मिल सकेगी।

भारत-आसियान के लिए 2027 होगा खास

वर्ष 2027 में भारत-आसियान सम्बंधों के 35 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 5 वर्ष पूरे होंगे। भारत इस अवसर को केवल समारोह तक सीमित रखने के बजाय साझेदारी को नई ऊंचाई देने के अवसर के रूप में देख रहा है। इस साझेदारी की बढ़ती गहराई का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि 2014 से अब तक भारत और आसियान के बीच लोगों के सम्पर्क को बढ़ाने के लिए 100 से अधिक पहल, करीब 250 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट और 10 हजार से अधिक स्किल-बिल्डिंग छात्रवृत्तियां दी गई हैं। भारत और 9 आसियान देशों के बीच सीधी उड़ानें भी दोनों क्षेत्रों के मजबूत होते सम्पर्क को दर्शाती हैं।

ईस्ट एशिया समिट में सुरक्षा और शांति का संदेश

प्रधान मंत्री मोदी ने 21वें ईस्ट एशिया समिट में क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर भारत का पक्ष रखा और शांति, स्थिरता, संवाद तथा आपसी सम्मान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई। समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत ने नाविकों की सुरक्षा पहल का प्रस्ताव रखा, जिसमें संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। बढ़ते साइबर अपराध और ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में ईस्ट एशिया समिट साइबर क्राइम कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके अलावा लोथल में ईएएस मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल और नालंदा में ईएएस यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी का प्रस्ताव सामने आया।

फिलीपींस के साथ रणनीतिक साझेदारी को गति

फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के साथ प्रधान मंत्री मोदी की बैठक में रक्षा एवं सुरक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक तथा व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की गई। फिलीपींस वर्ष 2024 से आसियान में भारत का कंट्री कोऑर्डिनेटर रहा है। इसलिए भारत-फिलीपींस सम्बंधों के साथ-साथ आसियान के साथ व्यापक जुड़ाव की दृष्टि से भी यह संवाद महत्वपूर्ण रहा।

थाईलैंड और सिंगापुर के साथ भी अहम संवाद

प्रधान मंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधान मंत्री अनुतिन चार्नविराकुल और सिंगापुर के प्रधान मंत्री लॉरेंस वोंग से भी मुलाकात की। थाईलैंड के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, कनेक्टिविटी, डिजिटल तकनीक, फिनटेक, संस्कृति और पर्यटन पर चर्चा हुई। वहीं सिंगापुर के साथ आर्थिक सहयोग, कौशल विकास, डिजिटलीकरण, सतत विकास, स्वास्थ्य, रक्षा और लोगों के बीच सम्पर्क सहित आठ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की समीक्षा की गई।

सफलता



मृत्युंजय दीक्षित



जम्मू-कश्मीरः अब नहीं रहा कोई स्थानीय आतंकी

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए की समाप्ति के बाद राज्य में आतंकवाद के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान अब सकारात्मक परिणाम देने लगा है। घाटी में यदि कोई आतंकी संगठन या उसका समर्थक सिर उठाने और आतंक फैलाने का प्रयास करता है, तो सुरक्षाबलों की प्रभावी कार्रवाई के कारण उसके लिए बच निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। इसका असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। कुलगाम में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर भागने वाले आतंकियों के मुख्य सरगना और द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के स्वयंभू कमांडर लतीफ अहमद बट तथा उसके साथी उमर निसार को महज कुछ दिनों के भीतर मुठभेड़ में मार गिराया गया। घाटी में लतीफ अहमद बट स्थानीय स्तर पर सक्रिय आतंकी था, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन और सहयोग प्राप्त था। लतीफ अहमद बट की मौत के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसे आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षाबलों की बड़ी सफलता बताया और इसके महत्व को रेखांकित किया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि लतीफ अहमद बट का दूसरा साथी उमर निसार महज 15 दिन पहले ही आतंकी संगठन में शामिल हुआ था।

भारतीय सेना द्वारा स्वयंभू कमांडर लतीफ अहमद बट को मार गिराए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर अब स्थानीय आतंकवादियों से मुक्त हो चुका है, यह एक बहुत बड़ी सफलता और उपलब्धि है। आतंकवाद के प्रति केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति कारगर सिद्ध हुई है।

कुलगाम हमले के बाद दोनों आतंकियों को पकड़ने के लिए विशेष रणनीति के अंतर्गत अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों ने 500 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की तथा 20 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इसी अभियान के अंतर्गत सुरक्षाबल लतीफ और उमर के ठिकाने तक पहुंचने में सफल रहे। लतीफ बट पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

लतीफ अहमद बट की मौत से पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ-साथ वहां की सरकार और सेना को भी बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में कश्मीर के कथित शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लतीफ की मौत पर दुख व्यक्त किया और उसे शहीद का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि घाटी शहीदों के खून से लाल हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने जेलों में बंद कश्मीरी नेताओं का भी उल्लेख किया और कश्मीरी आतंकियों को हर तरह की राजनीतिक तथा अन्य सहायता जारी रखने का भरोसा दिया। पाकिस्तान का यह रुख एक बार फिर उसके दोहरे चरित्र और आतंकवाद के प्रति उसके समर्थन को उजागर करता है।

लतीफ अहमद बट और उसके साथी की मौत सुरक्षाबलों के लिए इतनी बड़ी सफलता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर इसका विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लश्कर के आतंकी लतीफ के मारे जाने के बाद कश्मीर भारत में पैदा हुए आतंकियों से मुक्त हो गया है। उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा मील का पत्थर बताया। आतंकवाद के प्रति केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। देश के सभी

पुलिस थानों तक आतंकवाद से मुकाबले की एक समान रणनीति लागू करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

लतीफ का मारा जाना कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षाबलों की एक बड़ी उपलब्धि है। वह काफी समय से सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर था। 11 नवंबर को कुलगाम में सीआरपीएफ की पोस्ट पर हमला हुआ था, जिसमें तीन जवान घायल हुए थे। घटना के बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। लगभग 5,000 जवानों की तैनाती कर 15 गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को संदेह था कि आतंकियों को स्थानीय स्तर पर शरण और सहायता मिल रही है।

बताया जाता है कि लतीफ एक मस्जिद में छिप गया था। सुरक्षाबलों ने उसे आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया। पुलिस और सेना के अधिकारियों ने उससे फोन पर भी बात की, लेकिन वह आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं हुआ। जब उसने हथियार डालने से इनकार कर वहां से भागने का प्रयास किया, तब सुरक्षाबलों के साथ उसकी मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें वह मारा गया। लतीफ पर यूएपीए के अंतर्गत लाल चौक, अनंतनाग, केलम और अखरान में हुए हमलों में शामिल होने के भी आरोप थे।

लतीफ के मारे जाने को सुरक्षाबल स्थानीय आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता मान रहे हैं, क्योंकि वह लश्कर का स्थानीय कमांडर था। उसकी मौत के बाद सुरक्षाबलों का ध्यान अब गैर-स्थानीय आतंकियों और उनके नेटवर्क पर केंद्रित रहेगा।

लतीफ का मारा जाना निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है, लेकिन इसके आधार पर यह कहना कि घाटी से आतंकवाद का पूरी तरह सफाया हो गया है, जल्दबाजी होगी। पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकी सरगनाओं को जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास रास नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि लगभग 70 विदेशी आतंकी अब भी घाटी में सक्रिय हैं। हालांकि एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि अब स्थानीय युवाओं की आतंकी संगठनों में भर्ती में कमी आई है।

जम्मू-कश्मीर में बीते कुछ वर्षों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, विकास कार्यों और जनजीवन में आए बदलाव इस बात के संकेत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सही दिशा में आगे बढ़ रही है। स्थानीय युवाओं का आतंकवाद से दूर रहना और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना इस बदलाव की सबसे बड़ी कसौटी है। सुरक्षाबलों की सतर्कता, केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और स्थानीय जनता के सहयोग से ही जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।



TJSB SAHAKARI BANK LTD.
MULTI-STATE SCHEDULED BANK
Bharose ka Bank Bhavishya ka Bank

Banking Begins Wherever You Are.

Introducing Digital Account Opening by TJSB Bank.

Open your TJSB Bank account online, anytime, from anywhere

Open from Anywhere	Available 24x7, 365 Days	Quick Document Verification	Secure & Privacy-Focused

Open Your Digital Account Today.



Scan the QR Code to Get Started.

www.tjsb.bank.in | ✆ : 022-48897203

T&C Apply*



भास्कर दूबे

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व भीम-मीम गंठबंधन का प्रयोग समाज विभाजन की एक नई लकीर खींच सकता है, जो आगे चलकर अलगाववाद का कारण बन सकता है। ऐसे में समाज को सजग और एकजुट रहना होगा अन्यथा 'बटेंगे तो कटेंगे' की भविष्य वाणी सत्य हो सकती है।

भीम-मीम : समाज विभाजन का प्रयोग

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच गठबंधन चर्चा का विषय बना हुआ है। इन दोनों नेताओं ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाकर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। यही नहीं, गठबंधन की ओर से चंद्रशेखर आजाद को मुख्य मंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया गया है। इस राजनीतिक पहल को दलित-मुस्लिम एकजुटता यानी 'भीम-मीम' के नए प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गठबंधन का स्वागत करते हुए कठपुतली न बनने की सलाह दी और इसे बीजेपी के वोटबैंक में सेंध लगाने वाला बताया है।

उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में दलित समुदाय को लेकर हमेशा से राजनीति होती रही है। हर राजनीतिक दल स्वयं को दलितों का हितैषी बताने में कभी नहीं चूकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण उनकी जनसंख्या या कहें वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश में दलितों की जनसंख्या करीब 21 प्रतिशत है। वहीं, मुसलमानों की जनसंख्या करीब 19 प्रतिशत है। इस तरह दोनों समुदाय मिलकर राज्य की जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा हैं। भीम-मीम के नाम पर बने गठबंधन को लेकर प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए समुदायों को अलग-अलग राजनीतिक खांचों में बांटना उचित है? क्या जाति और धर्म की पहचान को राजनीतिक शक्ति में बदलने से वास्तव में



सामाजिक परिवर्तन आएगा? या फिर यह उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब के आधार पर एक नया राजनीतिक ध्रुवीकरण पैदा करने का प्रयास है?

वैसे किसी भी समाज की प्रगति शिक्षा, रोजगार, आर्थिक मजबूती और समान अवसरों से होती है। केवल राजनीतिक गठबंधन बना लेने से इन समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी को यह बताना चाहिए कि उनके पास दलितों और मुसलमानों के विकास के लिए क्या ठोस योजना है? वह युवाओं को रोजगार, अच्छी शिक्षा और आर्थिक मजबूती देने के लिए क्या करेंगे? यदि इस गठबंधन का उद्देश्य केवल चुनावी लाभ के लिए हैं तो इसे सामाजिक परिवर्तन नाम देना उचित नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के लिए सोच और व्यवहार, दोनों में बदलाव की आवश्यकता है।

यदि इतिहास पर दृष्टि डाले तो भीम-मीम की राजनीति पर चर्चा करते समय जोगेंद्रनाथ मंडल को भी याद करना आवश्यक है। मंडल को दलितों का बड़ा नेता माना जाता था। स्वतंत्रता से पहले उन्होंने मुस्लिम लीग का इसलिए सहयोग किया था ताकि दलित समुदाय को अधिकार और सम्मान मिले। वह पाकिस्तान की पहली सरकार में कानून एवं श्रम मंत्री बनाए गए थे। यही नहीं, पाकिस्तान की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी रहे। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें तब निराशा महसूस हुई जब दलितों के साथ वहां भेदभाव होने लगा। इसके बाद मंडल ने अक्टूबर, 1950 में अपने सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया और भारत लौट आए। इसके बाद उन्होंने भारत में भी कई राजनीतिक प्रयोग किए, किंतु उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला। ऐसे में जोगेंद्रनाथ मंडल का जीवन बताता है कि राजनीतिक गठबंधन करते समय तत्कालीन लाभ नहीं देख कर भविष्य पर भी विचार करना चाहिए। किसी नेता के आश्वासन से अधिक महत्वपूर्ण उसके विचार और नीतियां होते हैं। इसलिए इतिहास से सबक लेना आवश्यक है ताकि पुराने अनुभवों से गलतियां दोहराई न जाएं।

उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति हमेशा से हावी रही है। चुनाव आते ही राजनीतिक दल अलग-अलग समुदायों को एकजुट करने के लिए जुट जाते हैं। कोई जातिगत समीकरण बनाता है तो कोई धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए समर्थन जुटाता है। इस चक्कर में सामान्य व्यक्ति की समस्याएं पीछे छूट जाती हैं। भीम-मीम गठबंधन को भी इसी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। इस दलित और मुस्लिम गठजोड़ को कुछ लोग प्रभावी बता सकते हैं, पर कुछ लोग इसे नई राजनीतिक प्रयोगशाला मानकर एक-दूसरे समुदाय के प्रति अविश्वास पैदा करने वाला कह सकते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि राजनीति में गठबंधन बनाना गलत नहीं है। हर दल को अपनी विचारधारा के अनुसार चुनाव लड़ने और समर्थन जुटाने का अधिकार है, पर किसी भी गठबंधन की सफलता केवल चुनावी सीटों से नहीं बल्कि समाज पर उसके प्रभाव से भी मापी जानी चाहिए।

'बटेंगे तो कटेंगे' और 'एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे' जैसे नारे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय रहे हैं। इन नारों का संदेश समाज की एकता और सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता है, परंतु एकता का अर्थ किसी दूसरे समुदाय के प्रति डर या द्वेष पैदा करना नहीं है। इसका अर्थ है कि समाज के सभी लोग मिलकर रहें और एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें।

राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि समाज को बांटकर लम्बे समय तक विकास नहीं किया जा सकता। दलितों को सम्मान मिलना चाहिए, मुसलमानों को बराबरी के अवसर मिलने चाहिए और पिछड़े तथा अन्य सभी वर्गों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। देश का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है। राजनीति की दायित्व इन अधिकारों को मजबूत करना है।

उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं होगा। यह भी देखा जाएगा कि जनता किस तरह की राजनीति को महत्व देती है। मतदाताओं को यह प्रश्न पूछना चाहिए कि किस दल के पास रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और विकास का बेहतर कार्यक्रम है। कौन समाज में भाईचारा बढ़ाने की बात करता है और कौन केवल चुनाव के समय जाति और मजहब की चर्चा करता है। चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के गठबंधन को भी इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। केवल भीम-मीम का नारा लगाने से दलितों और मुसलमानों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। इसके लिए जमीन पर काम करना होगा और सभी समुदायों का विश्वास जीतना होगा।

राजनीति में नेता और गठबंधन बदलते रहते हैं, परंतु समाज के रिश्ते लम्बे समय तक चलते हैं। इसलिए किसी भी राजनीतिक प्रयोग से पहले यह सोचना आवश्यक है कि उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। वैसे, जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। उसे जाति और मजहब-पंथ के नाम पर होने वाली राजनीति से ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। एकता, भाईचारा और विकास ही किसी मजबूत समाज की असली पहचान है। ●●●



दिल्ली प्रदूषण समस्या और समाधान

देश की राजधानी नई दिल्ली में वायु प्रदुषण एक्यूआई 435 तक पहुंचना विकट स्थिति को दर्शाता है। शहरों का गैस चेम्बर जैसा हाल देखकर तो यही कहना होगा कि हम विकास की ओर जा रहे हैं या विनाश की ओर, क्योंकि यहां अब सांस लेना भी दुष्कर हो गया है।



सुभाष चंद्र लखेड़ा

देश में वायु प्रदूषण इस समय विशेष रूप से उत्तर भारत में दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गम्भीर है। 16 नवम्बर 2026 को देश के 274 निगरानी शहरों में से लगभग 69.3 प्रतिशत में वायु गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में थी। दिल्ली के सिरी फोर्ट में एक्यूआई 435 तक पहुंचा, जो गम्भीर श्रेणी में आता है।

वास्तव में दिल्ली की हवा अब हर सर्दी में विषैली हो जाती है। यह एक गम्भीर जन स्वास्थ्य संकट है। दिल्ली का प्रदूषण एक ही कारण से नहीं होता। निजी वाहनों, विशेष रूप से डीजल वाहनों का धुआं, सड़कों और निर्माण स्थलों की धूल, कचरा तथा लकड़ी-कोयला जलाना, उद्योगों का उत्सर्ज और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाना, ये सब मिलकर हवा को जहरीला बनाते हैं। सर्दियों में ठंडी और शांत हवा इन कणों को ऊपर उड़ने नहीं देती, जिससे स्मॉग और भी घना हो जाता है।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि शहर की यातायात व्यवस्था निजी वाहनों पर बहुत अधिक निर्भर है। मेट्रो यात्रियों को ले जाती है, पर स्टेशन से घर या कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए सुरक्षित फुटपाथ, फीडर बसें और साइकिल मार्ग कम हैं। जब लोगों के पास आसान, सस्ता और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन नहीं होता तो उनसे केवल गाड़ी छोड़ने को कहना अधूरा समाधान है। दूसरी समस्या निर्माण और सड़क धूल है। खुली मिट्टी, अधूरी सड़कें, बिना ढकी सामग्री और नियमों की कमजोर पालना धूल को हवा में फैलाती है। तीसरी समस्या कचरे का प्रबंधन है। जब कूड़ा, पत्ते या प्लास्टिक जलाए जाते हैं तो उससे निकला धुआं सीधे लोगों की सांसों तक पहुंचता है।

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जैसे उपाय प्रदूषण बहुत बढ़ जाने पर आपातकालीन राहत के लिए आवश्यक हैं। इनमें निर्माण पर रोक, वाहनों की जांच, धूल नियंत्रण और कुछ गतिविधियों

पर पाबंदी शामिल होती है, किंतु ये उपाय मूल कारण समाप्त नहीं करते। स्मॉग गन, स्प्रिंकलर और स्मॉग टावर दिखने में कार्रवाई जैसे लग सकते हैं, पर ये पूरे शहर की हवा को साफ नहीं कर सकते। असली समाधान वह है जो प्रदूषण पैदा होने से पहले उसे रोके जैसे साफ ईंधन, बेहतर परिवहन, धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और सख्त निगरानी।

दीर्घकालिक समाधान की पहली कड़ी सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना है। दिल्ली-एनसीआर में बसों की संख्या बढ़ानी होगी, बसों का समय नियमित होना चाहिए और मेट्रो स्टेशनों से आखिरी दूरी तक फीडर सेवाएं होनी चाहिए। पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित मार्ग भी आवश्यक हैं। फुटपाथ खाली, टूटे-फूटे नहीं होने चाहिए और साइकिल लेन पार्किंग या दुकानों के लिए नह बल्कि साइकिल चालकों के लिए होनी चाहिए। कारपूलिंग, ऑफिस के समय में बदलाव और मेट्रो स्टेशनों के पास पार्किंग की बेहतर व्यवस्था से निजी गाड़ियों का उपयोग घट सकता है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। सरकारी बसों, डाक वाहनों, नगर निगम की गाड़ियों और कैबों का तेजी से विद्युतीकरण होना चाहिए। चार्जिंग स्टेशनों का जाल फैलाना, ई-वाहनों पर कर छूट और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों की पहचान कर उन्हें हटाना आवश्यक है। साथ ही डीजल जनरेटर की जगह साफ ऊर्जा और बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।

निर्माण स्थलों पर ढकने, पानी के छिड़काव, सामग्री के ढेर को ढकने और कचरे के उचित निपटान के नियम सख्ती से लागू होने चाहिए। निर्माण रोकने के बजाय हरित निर्माण को अनिवार्य बनाया जा सकता है- जैसे तैयार मिश्रित कंक्रीट, ढकी सामग्री, धूल-रोधी जाल और नियमित निरीक्षण।

सड़कों की सफाई के लिए मशीनी स्वीपिंग को बढ़ाया जाए, पर उसका समय ऐसा हो कि ट्रैफिक न रुके। सड़क किनारे की खुली मिट्टी को घास, पौधों या ठोस सतह से ढका जाए। शहर में हरियाली बढ़ाना भी उपयोगी है क्योंकि पेड़ और हरित पट्टियां स्थानीय तापमान नियंत्रित करने और प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में सहायता करते हैं। कचरे को गीला और सूखा करके अलग करने की आदत बढ़ानी होगी। कूड़ा जलाना पूरी तरह रोका जाए और उसके लिए संग्रहण व्यवस्था मजबूत हो। शहर में लकड़ी या कोयले के उपयोग पर रोक लगाकर एलपीजी या बिजली को प्रोत्साहित किया जाए। त्योहारों पर पटाखों का उपयोग कम करने के लिए जागरूकता और विकल्प, दोनों आवश्यक हैं।

प्रदूषण राज्य सीमाएं नहीं मानता। दिल्ली की हवा पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अन्य आसपास के क्षेत्रों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए पराली जलाने के विकल्प, उद्योगों के उत्सर्जन नियम, वाहनों की जांच और डेटा साझा करने के लिए दिल्ली-एनसीआर के सभी राज्यों को एक साझा एयरशेड योजना में काम करना चाहिए।

किसानों को पराली जलाने के बजाय उसे प्रबंधित करने के लिए मशीन, सहायता और बाजार उपलब्ध कराए जाएं। पराली को बायो-कम्पोस्ट, पैकेजिंग सामग्री या ऊर्जा में बदलने के व्यवहारिक विकल्प विकसित किए जाएं। साथ ही उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा और साफ तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, जबकि नियम तोड़ने वालों पर कड़ा दंड हो।

हवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए अधिक मॉनिटरिंग स्टेशन और वास्तविक समय का डेटा चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किन क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ेगा ताकि पहले से कार्रवाई हो सके। प्रदूषण के स्रोतों की पहचान के लिए नियमित अध्ययन भी आवश्यक ह ताकि पैसा और मेहनत सही जगह लगे।

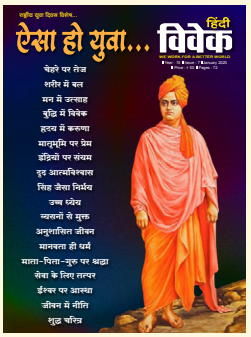
जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कौन विभाग सड़क धूल रोकेगा, कौन निर्माण स्थल जांचेगा, कौन प्रदूषणकारी वाहनों पर कार्रवाई करेगा और कौन कचरा प्रबंधन देखेगा, यह सब स्पष्ट होना चाहिए। नागरिक शिकायत दर्ज कर सकें और कार्रवाई का अपडेट भी मिले तो जवाबदेही बढ़ेगी।

सरकार के साथ नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जहां सम्भव होम- मेट्रो, बस, साइकिल या कारपूल का उपयोग करना चाहिए। कचरा अलग करना, प्लास्टिक और कूड़ा जलाने से बचना, बिजली की बचत करना तथा पटाखों से परहेज करना छोटे, परंतु असरदार कदम हैं।

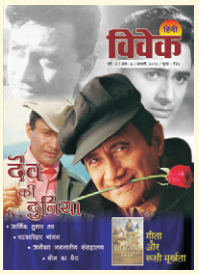
वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ रसोई, कचरा प्रबंधन, निर्माण-धूल नियंत्रण, हरित शहरी नियोजन और कड़ी निगरानी, इन सभी उपायों को एक साथ अपनाना होगा। स्वच्छ वायु केवल पर्यावरण की मांग नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, उत्पादकता और भविष्य की सुरक्षा की आधारशिला है। यदि सरकार, उद्योग और नागरिक अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो स्वच्छ और सांस लेने योग्य वायु का अधिकार हर नागरिक के लिए वास्तविकता बन सकता है।

●●●

आपकी आवाज को बुलंद करने वाली
सम्पूर्ण पारिवारिक व सामाजिक मासिक पत्रिका

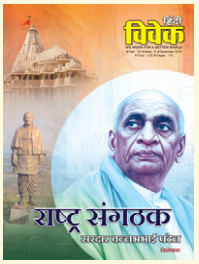






हिंदी विवेक

" We Work For A Better World"







सदस्यता शुल्क

- वार्षिक मूल्य : रु. 500/-
- त्रैवार्षिक मूल्य : रु. 1,200/-
- पंचवार्षिक मूल्य : रु. 1,800/-
- संरक्षक मूल्य : रु. 25,000/-
- विदेशी सदस्यता शुल्क वार्षिक : रु. 5,000/-

खुद ग्राहक बनें व बनाएं

- जन्म दिन तथा अन्य समारोहों में हिंदी विवेक उपहार के रूप में भेंट करें।
- मित्रों, रिश्तेदारों तथा शुभचिंतकों को हिंदी विवेक की सदस्यता प्रदान करें।
- अपने दिवंगत स्नेहीजनों की स्मृति में 11, 21, 51 या 101 पाठकों को सदस्यता दें।
- विवाह के अवसर पर सदस्यता उपहार में दें।
- नववर्ष की शुभकामना के रूप में ग्रीटिंग कार्ड के स्थान पर हिंदी विवेक का सदस्यता रसीद प्रदान करें।

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

हिंदी विवेक कार्यालय

प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर 10, सेक्टर – 2, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे, हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई – 400067

सम्पर्क : +91 95949 91884

hindivivekvargani@gmail.com / hindivivekadvt@gmail.com



पारम्परिक भोजन की ओर लौटते युवा



घनश्याम गुप्त

भारतीय खानपान की समृद्ध परम्परा अब नई पीढ़ी को फिर आकर्षित कर रही है। पिज्जा-बर्गर के दौर में युवा बाजरा, ज्वार, रागी, सत्तू, दाल और क्षेत्रीय व्यंजनों को अपनी थाली में जगह दे रहे हैं। यह बदलाव केवल स्वाद और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दोबारा जुड़ने का भी संकेत है।

एक समय था जब भारतीय घरों की रसोई में मौसम और स्थानीय परम्पराओं के अनुसार भोजन तैयार किया जाता था। दादी-नानी के हाथों की बनी बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, दाल, खिचड़ी, छाछ, रागी, ज्वार, सत्तू और घर में तैयार किए गए अचार-मुरब्बे भारतीय खानपान का अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे। भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं था, बल्कि वह परिवार, परम्परा, प्रकृति और स्वास्थ्य से जुड़ी जीवनशैली का हिस्सा था, परंतु बदलते समय, शहरीकरण और पाश्चात्य खानपान के बढ़ते प्रभाव ने इस परम्परा को बहुत सीमा तक पीछे छोड़ दिया। पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स और पैकेटबंद खाद्य पदार्थ युवाओं की पसंद बनते चले गए। हालांकि अब परिस्थितियां बदल रही हैं। नई पीढ़ी के बीच भारतीय पारम्परिक भोजन के प्रति रुचि दोबारा बढ़ रही है। युवा अब अपनी जड़ों की ओर लौटते हुए पारम्परिक खानपान को आधुनिक जीवनशैली में स्थान दे रहे हैं।

बदलती सोच, बदलती खानपान की आदतें

आज का युवा पहले की तुलना में स्वास्थ्य को लेकर अधिक जागरूक दिखाई दे रहा है। फिटनेस, पोषण, जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों और संतुलित आहार पर बढ़ती चर्चा ने खानपान के प्रति उसकी सोच में बदलाव लाया है। सोशल मीडिया, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और खानपान से जुड़े डिजिटल मंचों के माध्यम से युवाओं को

यह समझने का अवसर मिला है कि स्वादिष्ट भोजन के साथ पौष्टिक भोजन भी कितना आवश्यक है।

इसी जागरूकता के चलते मोटे अनाज यानी मिलेट्स, पारम्परिक दालों, मौसमी सब्जियों, अंकुरित अनाज और घर के बने भोजन की लोकप्रियता बढ़ रही है। कई युवा अब सुबह के नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स या पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के स्थान पर पोहा, उपमा, इडली, ढोकला, दलिया और सत्तू को प्राथमिकता दे रहे हैं। ज्वार, बाजरा और रागी से बने व्यंजन भी उनके भोजन का हिस्सा बन रहे हैं।

मिलेट्स बने नई पीढ़ी की पसंद

भारतीय पारम्परिक भोजन की चर्चा हो और मोटे अनाज का उल्लेख न हो, ऐसा सम्भव नहीं है। बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी और कंगनी जैसे अनाज सदियों से भारतीय खानपान का हिस्सा रहे हैं। ये अनाज फाइबर, खनिज और अन्य पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। इनकी विशेषता यह भी है कि कई पारम्परिक फसलें कम पानी में उगाई जा सकती हैं।

आज युवा इन अनाजों को केवल पारम्परिक रोटी तक सीमित नहीं रख रहे बल्कि उनसे कुकीज, डोसा, पैनकेक, लड्डू, पास्ता और कई नए व्यंजन भी तैयार कर रहे हैं। इससे पारम्परिक अनाज आधुनिक स्वाद के साथ नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किए जाने के बाद भी इन अनाजों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली।

दादी-नानी की रसोई का आधुनिक अवतार

भारतीय पारम्परिक भोजन की एक बड़ी विशेषता उसकी विविधता है। देश के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग खानपान परम्परा है। राजस्थान का दाल-बाटी-चूरमा, महाराष्ट्र की भाकरी-पिठला, गुजरात की खिचड़ी-कढ़ी, दक्षिण भारत का इडली-साम्भर, पंजाब का सरसों का साग-मक्के की रोटी और पूर्वोत्तर भारत के पारम्परिक व्यंजन भारतीय भोजन की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं।

आज युवा इन व्यंजनों को नए अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। पारम्परिक व्यंजनों की रेसिपी सोशल मीडिया पर साझा की जा रही हैं। कई युवा फूड ब्लॉगर्स क्षेत्रीय भोजन को लोकप्रिय बना रहे हैं। कुछ युवा तो अपने घरों में दादी-नानी से पारम्परिक व्यंजन बनाना सीख रहे हैं और उनकी विधियों को डिजिटल माध्यमों से सुरक्षित भी कर रहे हैं। यह बदलाव केवल भोजन की पसंद में परिवर्तन नहीं है बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान को समझने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास भी है।

स्थानीय भोजन और किसानों से जुड़ाव

पारम्परिक भोजन की ओर लौटने का एक सकारात्मक पक्ष स्थानीय कृषि और किसानों को मिलने वाला प्रोत्साहन भी है। जब युवा स्थानीय अनाज, दालों, मौसमी फलों और सब्जियों को अपनी थाली में स्थान देते हैं, तब स्थानीय उत्पादकों और छोटे किसानों के लिए भी बाजार के नए अवसर बनते हैं।

आज कई युवा स्थानीय उत्पादों को सीधे किसानों से खरीदने, जैविक खेती से प्राप्त खाद्य पदार्थों को अपनाने और पारम्परिक खाद्य उत्पादों के व्यवसाय से जुड़ने में रुचि दिखा रहे हैं। मिलेट्स आधारित खाद्य उत्पाद, पारम्परिक स्नैक्स, देसी पेय और क्षेत्रीय व्यंजनों से जुड़े स्टार्टअप भी इस बदलाव को नई दिशा दे रहे हैं।

इससे एक ओर भारतीय खाद्य परम्पराओं को बढ़ावा मिलता है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय अर्थव्यवस्था और कृषि आधारित उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिलता है।

फास्ट फूड के दौर में संतुलित भोजन की आवश्यकता

यह सही है कि आज की व्यस्त जीवनशैली में फास्ट फूड और बाहर के भोजन से पूरी तरह दूरी बनाना हर किसी के लिए आसान नहीं है, पर आवश्यकता इस बात की है कि भोजन में संतुलन बनाया जाए। स्वाद के नाम पर अत्यधिक नमक, चीनी, तेल और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

भारतीय पारम्परिक भोजन में ऐसे अनेक विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें संतुलित मात्रा और उचित तरीके से अपनाकर स्वस्थ खानपान की आदत विकसित की जा सकती है। दाल, चावल, रोटी, मौसमी सब्जियां, दही, छाछ, फल और अलग-अलग अनाजों का संतुलित समावेश शरीर की पोषण सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो सकता है।

भोजन के माध्यम से संस्कृति का संरक्षण

भारतीय भोजन केवल स्वाद और पोषण तक सीमित नहीं है। इसके साथ हमारी ऋतुएं, त्योहार, पारिवारिक परम्पराएं और सामाजिक जीवन भी जुड़े हुए हैं। मकर संक्रांति पर तिल-गुड़, सावन में मौसमी पकवान, त्योहारों पर घर में बनने वाली मिठाइयां और गर्मियों में आम का पना, छाछ तथा सत्तू जैसे पेय हमारी जीवनशैली में प्रकृति के साथ तालमेल को दर्शाते हैं।

आज जब युवा इन परम्पराओं को दोबारा अपना रहे हैं, तब वे अनजाने में ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ा रहे हैं। भोजन के माध्यम से भाषा, क्षेत्रीय पहचान, पारिवारिक स्मृतियां और पीढ़ियों का अनुभव सुरक्षित रहता है। ●●●



एजेंडाधारी फिल्म

सिनेमा

'बायकॉट बॉलीवुड' अभियान के बाद भी एजेंडेधारी फिल्मकार सबक नहीं सीखें हैं, ऐसा लगता है कि वे बॉलीवुड की लुटिया डूबा कर ही मानेंगे। इसलिए तो रामायणा मूवी में रावण का महिमामंडन और वामपंथी ऐजेंडा भरा हुआ है।



सर्वेश तिवारी 'श्रीमुख'

नितीश तिवारी की रामायणा शुरुआती दृश्यों में ही बताती है, देवता इतने अत्याचारी हैं कि उनके आतंक के कारण राक्षस जाति दाने दाने को मोहताज है। वे भूखों मर रहे हैं, देवों के यहां मजदूरी कर रहे हैं, पर परिवार का पेट भर सकने लायक अन्न नहीं जुटा पाते। बालक रावण को उसकी माता इस शोषण और अत्याचार के विरुद्ध खड़ा करती है और वह अपना संगीत प्रेम त्याग कर शस्त्र उठाने पर विवश हो जाता है। वह तप कर के शक्ति प्राप्त करता है और लंका को कुबेर के शोषण से मुक्ति दिलाता है।

लंका का राजा बनने के बाद वह सामाजिक समानता की घोषणा करता है। वह तय करता है कि आज से राजा और प्रजा का जीवन एक सा होगा, भोजन और वस्त्र एक जैसे होंगे। लंका में साम्यवाद स्थापित होता है।

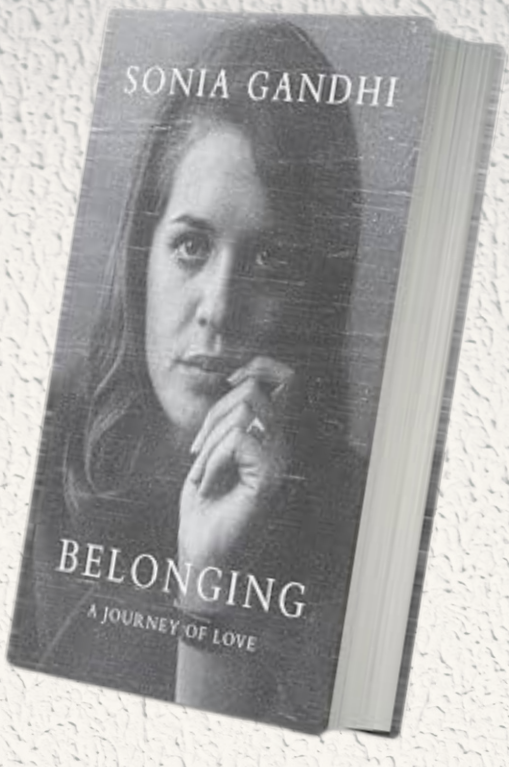
इतना ही नहीं, रावण स्त्रियों का बहुत आदर करता है और अपने दरबार में स्त्री अधिकारों की वकालत करता है।

अब रामजी की ओर चलिए। जनकपुर में राम वाटिका में सिया के साथ बैठे हैं। विवाह तय हो चुका। राम हस कर सिया से पूछते हैं कि मेरा तो हो चुका, मेरे भाइयों का क्या होगा? मुस्कुराती सिया कहती हैं कि पीछे देखिए। कैमरा घूमता है तो दर्शक देखते हैं लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न एक एक राजकुमारी के साथ अलग-अलग बैठे बातें कर रहे हैं। दर्शक खिलखिला उठते हैं। कुछ नई आयु के फूहड़ दर्शक तो सीटियां भी बजाते हैं। यह रामायणा है...?

रामकथा बहुत बड़ी है इसलिए फिल्म बनाते समय कुछ दृश्यों को छोड़ना ही पड़ेगा। इसी बहाने से निषादराज गुह का पूरा प्रसंग ही हटा दिया गया। क्षत्रिय राम और निषाद गुह की मित्रता साम्यवादी एजेंडे को सूट नहीं करती न, तो बेहतर है कि इस प्रसंग को ही छोड़ दिया जाय। अच्छा है न?

अभी रुकिए। राजकुमारी शूर्पणखा वन में घूमती रहती है। राम से मित्रवत तरीके से मिलती है, उनसे प्रभावित होती हैं। अगली भेंट में विवाह प्रस्ताव देती हैं, जिसे राम नकार देते हैं। तीसरी बार वे सीता के भेष में राम से कुटिया में मिलती हैं, जिस पर संदेह होने के कारण लक्ष्मण उनकी नाक काट देते हैं। इस पर माता सीता क्रोधित हो जाती हैं कि तुमने ऐसा दंड क्यों दिया? इसके बाद जब खर-दूषण सेना सहित आते हैं तो इस बात के लिए राम उनसे क्षमा याचना भी करते हैं। यह नीतीश तिवारी की रामायणा है। इस रामायणा में रावण और उसका परिवार आपको आदर्श साम्यवादी व्यवहार करता मिलता है। जनवादी, साम्यवादी, नारीवादी रावण... वे न अत्याचारी हैं, न ऋषियों को कष्ट देते हैं, न किसी का कुछ बिगाड़ते हैं। एकदम जेंटिलमेन... है न मजेदार? सनातनी पौराणिक कथाओं को जब धूर्त वामी छूते हैं तो वे उसका नाश ही करते हैं। इस फिल्म में भी वही किया गया है। देवदत्त पटनायक या बोधिसत्व जैसे लम्पट जीवन भर यही करते रहे हैं, यही करते रहेंगे। वामपंथी एजेंडे से भरी हुई निहायत ही बकवास फिल्म है यह। ●●●

इतिहास, विचारधारा और तथ्यों का टकराव



पुस्तक समीक्षा



सोनम लववंशी

भारत में रहना, भारत को अपना कहना और भारत की सभ्यतागत चेतना को समझना, तीनों अलग-अलग बातें हैं। सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: - Journey of Love को केवल एक विदेशी महिला के भारत में अपनापन खोजने की यात्रा के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह पुस्तक उनके निजी जीवन, पारिवारिक त्रासदियों और राजनीतिक यात्रा के साथ-साथ भारतीय इतिहास, राष्ट्रवाद और उन विचारधाराओं पर भी टिप्पणी करती है, जिनसे उनकी राजनीतिक असहमति रही है। इसलिए यह केवल स्मृतियों का दस्तावेज नहीं बल्कि एक राजनीतिक दृष्टिकोण का भी वक्तव्य है। प्रश्न यह है कि क्या निजी अनुभवों के सहारे राजनीतिक विरासत का बचाव और वैचारिक विरोधियों का मूल्यांकन निष्पक्षता से किया जा सकता है?

आपातकाल गलती स्वीकारना पर्याप्त नहीं

आपातकाल को सोनिया गांधी ने गलत अध्याय माना है। पुस्तक में वह बताती हैं कि राजीव गांधी चाहते थे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इंदिरा गांधी त्यागपत्र देकर नए चुनाव का सामना करें, पर इंदिरा ने संजय गांधी की सलाह नहीं मानी। आपातकाल की ज्यादतियों के लिए संजय गांधी की भूमिका को प्रमुखता देना और इंदिरा गांधी को परिस्थितियों से घिरी हुई नेता के रूप में प्रस्तुत करना एक तरह से राजनीतिक दायित्व को सीमित करने का प्रयास लगता है। प्रश्न यह है कि क्या आपातकाल जैसी लोकतांत्रिक त्रासदी का उत्तरदायित्व केवल संजय गांधी पर डालकर पूरी हो सकती है? सत्ता इंदिरा गांधी के हाथ में थी। नागरिक स्वतंत्रताएं निलम्बित हुईं, प्रेस पर सेंसरशिप लगी और राजनीतिक विरोधियों को जेलों में डाला गया।

1984 के घाव और राजनीतिक जवाबदेही

1984 के सिख विरोधी दंगों पर सोनिया गांधी का कहना है कि राजीव गांधी किसी समुदाय के प्रति दुर्भावना नहीं रखते थे। वह प्रशासनिक व्यवस्था के चरमराने और कुछ जिम्मेदार लोगों के भीड़ को रोकने के बजाय उसे उकसाने की बात भी स्वीकार करती हैं। राजीव गांधी का वह चर्चित वक्तव्य भी इतिहास का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यदि 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन सरकार की जिम्मेदारी पर प्रश्न उठाना आवश्यक है तो 1984 के दंगों में भी सत्ता और प्रशासन की जवाबदेही उतनी ही आवश्यक है। इतिहास के लिए दो अलग-अलग नैतिक कसौटियां नहीं हो सकतीं।

बोफोर्स, भोपाल और बाबरी पर चुनिंदा चुप्पी

किसी आत्मकथा में हर घटना का विस्तार से उल्लेख सम्भव नहीं, पर जब लेखक राजनीतिक इतिहास का अपना पक्ष रख रहा हो, तब कुछ प्रसंगों की अनुपस्थिति भी प्रश्न पैदा करती है। बोफोर्स मामले में सोनिया गांधी राजीव गांधी पर लगे आरोपों, उनके स्पष्टीकरण और 2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करती हैं, किंतु ओटावियो क्वात्रोच्चि और गांधी परिवार से उसकी कथित निकटता जैसे विवादास्पद पहलुओं पर विस्तार नहीं मिलता। भोपाल गैस त्रासदी और यूनियन कार्बाइड के प्रमुख वॉरेन एंडरसन के देश छोड़कर जाने के प्रसंग पर भी पुस्तक में चुप्पी है।

शाहबानो प्रकरण पर सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से अपनी असहमति का उल्लेख किया है, किंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ और महिला अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के नाम पर सरकार ने जो राजनीतिक निर्णय लिया, उसकी आलोचनात्मक पड़ताल आवश्यक थी। बाबरी ढांचे के

ताले खुलने के प्रसंग में वह फैजाबाद जिला न्यायालय के आदेश और उसके बाद हुई तेजी पर प्रश्न उठाती हैं, जबकि उस समय केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों में कांग्रेस की सरकार थी।

सावरकर और संघ : इतिहास को विचारधारा की कसौटी पर क्यों तौलें?

पुस्तक के पृष्ठ 201, 202 और 441 पर वीर सावरकर तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर की गई टिप्पणियां विशेष ध्यान खींचती हैं। पृष्ठ 201 पर सोनिया गांधी लिखती हैं कि जब कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के अत्याचार और जेलों का सामना कर रहे थे, तब सावरकर अंग्रेजों के सामने दया याचिकाएं लिख रहे थे और संगठन के कुछ सदस्य मुखबिर की भूमिका निभा रहे थे। सावरकर के विचारों से असहमति का अधिकार सभी को है, परंतु उनके जीवन, लेखन, क्रांतिकारी गतिविधियों और राजनीतिक भूमिका को भी समग्रता में देखने की आवश्यकता है।

तथ्यों की गलतियां और आत्मकथा की विश्वसनीयता

पुस्तक पर उठे प्रश्न केवल वैचारिक नहीं हैं। मीडिया की पड़ताल में कई तथ्यात्मक त्रुटियां सामने आई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का वर्ष 1921 लिखा गया है, जबकि स्थापना 1925 में हुई थी। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को 2012 से शुरू बताया गया, जबकि उसका निर्णायक राष्ट्रीय उभार 2011 में हुआ था। अहमद पटेल के निधन का वर्ष 2022 लिखा गया, जबकि उनका निधन 25 नवम्बर 2020 को हुआ था। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद बताई गई, जबकि गांधीनगर 1970 से राज्य की राजधानी है। गोधरा कांड में साबरमती एक्सप्रेस के चार डिब्बों में आग लगने का उल्लेख भी तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है, आग एस-6 कोच में लगी थी। ये मामूली सम्पादकीय चूक नहीं हैं। जब पुस्तक देश के राजनीतिक इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाओं की व्याख्या कर रही हो, तब ऐसी गलतियां उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े करती हैं। स्मृतियों में अंतर हो सकता है, किंतु तारीखों, घटनाओं और ऐतिहासिक तथ्यों की जांच प्रकाशन से पहले होनी चाहिए।

पुस्तक के सावरकर सम्बंधी अंशों को लेकर महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना के नेताओं संजय निरुपम, शाइना एनसी और अन्य नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुस्तक के पन्ने फाड़े गए और प्रकाशक से सम्बंधित अंश हटाने की मांग की गई। सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर ने भी कहा कि वे पहले पुस्तक में दिए गए कथनों और संदर्भों की जांच करेंगे, उसके बाद कानूनी कदम पर विचार करेंगे। •••

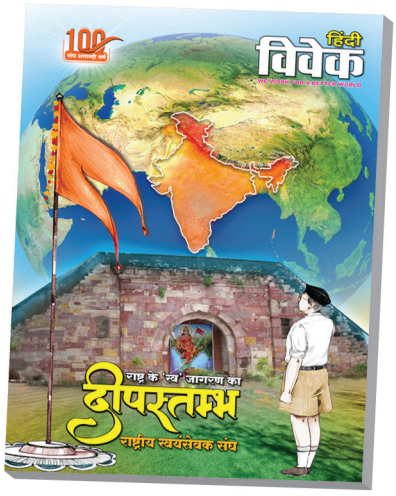
स्वयं के लिए और अपने परिजनों के लिए ग्रंथ का पंजीयन करें

इस ग्रंथ में आप पढ़ेंगे

- संघ में हो रहे अनगिनत सेवा कार्यों का परिणाम क्या है?
- डॉ. हेडगेवार जी से लेकर डॉ. मोहन भागवत जी तक के सभी सरसंघचालकों का दिशादर्शन...
- राजनीति को केंद्र में न रखकर राष्ट्रीयत्व को क्यों केंद्र में रखा?
- भारत के सम्मुख चुनौतियां और संघ कार्य का प्रभाव
- संघ विचारधारा और परिवर्तन

जैसे विविध मौलिक विषय

ग्रंथ का मूल्य ₹700/-



ईमेल – hindivivekvargani@gmail.com

Draft or Cheque should be drawn in the name of HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank Details : State Bank of India, **Branch -** Charkop, A/C No. : 00000043884034193, IFSC Code : SBIN0011694

ग्रंथ पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

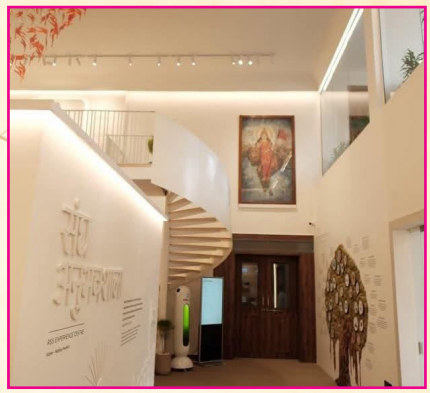
सम्पर्क

प्रशांत : 9594961855, संदीप : 9082898483
भोला : 9702203252, कार्यालय : 9594991884

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कॅन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

इंदौर में संघ अनुभवशाला का लोकार्पण







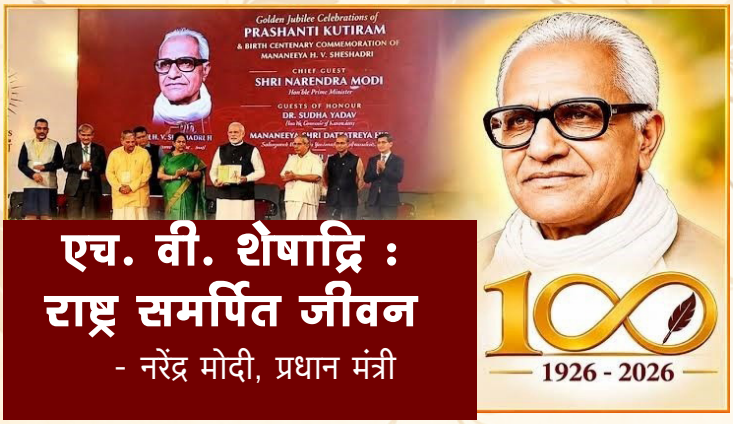




इंदौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित अनेक कार्यक्रमों एवं संपर्क-संवाद के माध्यम से संघ की 100 वर्ष की तपस यात्रा से समाज का बड़ा वर्ग परिचित हुआ है। इसी भाव को लेकर डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति के सुदर्शन भवन में संघ अनुभवशाला का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पू. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने संघ अनुभवशाला का लोकार्पण किया। इस अवसर पर समाज के प्रबुद्ध नागरिक एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे। डॉ. मोहन भागवत जी ने दीप प्रज्वलन के पश्चात प्रदर्शनी का अवलोकन किया। लोकार्पण कार्यक्रम में संघ अनुभवशाला के निर्माणकर्ताओं का सम्मान किया गया।

पू. सरसंघचालक जी ने कहा कि अनुभवशाला नाम की सार्थकता है। संघ को कोई प्रदर्शन नहीं करना है। संघ एक अनोखा संगठन है, इसके जैसा कोई और नहीं है, अतः संघ को जानने के लिए अनुभवशाला एक अच्छा प्रयोग है। पूरी दुनिया और निकट के इतिहास में संघ जैसा कोई संगठन या कार्य नहीं हुआ। परिस्थिति के अनुसार बदलने के सामर्थ्य वाले संघ में कुछ बातें अपरिवर्तनीय हैं। यह समझने के लिए भी अनुभव की आवश्यकता है। संघ का अनुभव, संघ के किसी कार्यक्रम में तीन-चार दिन साथ रह कर प्राप्त किया जा सकता है। संघ जानने-समझने लायक है, यह बात अनुभवशाला से समझ में आती है। संघ को समझने के लिए लोग कार्यालय आते हैं, वहां कार्य का वातावरण समझ में आता है। गागर में सागर भरने वाली प्रदर्शनी यह अनुभवशाला है। संघ का प्रत्यक्षदर्शन कराने वाली यह अनुभवशाला है।

मोहित जैन ने बताया कि 'एक विचार, एक यात्रा - राष्ट्र प्रथम' की भावना पर आधारित यह अनुभवशाला, संघ की 100 वर्षों की यात्रा, संघ के विचार, कार्यपद्धति और समाज जीवन में योगदान को सरल एवं रोचक रूप में प्रस्तुत करती है। अनुभवशाला में आगंतुकों को तीन मूल प्रश्नों - 'संघ क्या है?', 'इसकी स्थापना क्यों हुई?' और 'संघ कैसे कार्य करता है?' के उत्तर विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से मिलते हैं। संघ अनुभवशाला का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारत की संस्कृति से परिचित कराना, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव जगाना तथा 'राष्ट्र प्रथम' के विचार को व्यवहार में अपनाने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति के उमेश वर्मा ने किया तथा आभार समिति के सचिव राकेश यादव ने व्यक्त किया। कार्यक्रम के पश्चात उपस्थित समाजजन एवं स्वयंसेवकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उच्च तकनीक एवं उत्कृष्ट कला से इस प्रदर्शनी का निर्माण किया गया है। वीडियो गैलरी, चित्र एवं आलेखों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि, क्रमिक विस्तार एवं समाज कार्य दृढीकरण का प्रत्यक्ष दर्शन इस प्रदर्शनी में अनुभव होता है। ●●●



एच. वी. शेषाद्रि : राष्ट्र समर्पित जीवन

- नरेंद्र मोदी, प्रधान मंत्री

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रशांति कुटीरम् के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया और इस वर्ष प्रशांति कुटीरम की स्वर्ण जयंती के साथ मनाई जा रही एच. वी. शेषाद्रि जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शेषाद्रि जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन 'चरित्र निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण' के मिशन के लिए समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि देश को सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए समर्पित, सक्षम और अनुशासित नागरिकों का होना आवश्यक है।

एच. वी. शेषाद्रि जी की सादगी, बहुआयामी व्यक्तित्व, व्यापक अनुभव और दूसरों को आगे बढ़ाने, लोगों को एकजुट करने तथा उन्हें राष्ट्रसेवा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से स्वयं पर्दे के पीछे रहकर कार्य करने की उनकी विनम्रता को याद करते हुए प्रधान मंत्री ने एक उदाहरण साझा किया। उन्होंने बताया कि शेषाद्रि जी प्राय: उस मां का उदाहरण देते थे, जो अपने बच्चे के पालन-पोषण और उसकी सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से पूरी रात जागती रहती है। यदि हम इसी भावना का विस्तार समाज के प्रति अपने व्यवहार में करें, तो इससे समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। यह देखते हुए कि एच.वी. शेषाद्रि ने एक मां की पवित्रता और निस्वार्थता के साथ समाज की सेवा की। प्रधान मंत्री ने शेषाद्रि जी का स्नेह और मार्गदर्शन लगातार प्राप्त करने में अपना सौभाग्य व्यक्त किया और कहा कि उनके साथ बिताए गए समय की यादें और उनके शब्द आज भी मेरे लिए अत्यंत बहुमूल्य हैं।



एक करोड़ परिवारों को दैनिक पंचोपचार पूजा सिखाएगा विहिप

श्रद्धेय अशोकजी सिंहल के जन्मशताब्दी वर्ष के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद ने देशभर में एक करोड़ हिंदू परिवारों को एक वर्ष के भीतर सरल विधि से दैनिक पंचोपचार पूजा सिखाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा में 2 लाख से अधिक परिवारों को प्रशिक्षण देने की योजना है। प्रत्येक जिले, तालुका, प्रखंड और नगर के साथ-साथ गांवों और बस्तियों तक प्रशिक्षण पहुंचाने के लिए परिषद के मंदिर एवं अर्चक-पुरोहित सम्पर्क आयाम के कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। परिषद के केंद्रीय सूचना पत्र के अनुसार परिवारों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय अभियान की अवधि विजयादशमी 2026 से विजयादशमी 2027 तक, अर्थात 20 अक्टूबर 2026 से 9 अक्टूबर 2027 तक निर्धारित की गई है। प्रत्येक प्रांत को कम से कम 50 हजार परिवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र और गोवा में जिन केंद्रों की तैयारी पूरी हो जाएगी, वहां जनवरी 2027 से चरणबद्ध ढंग से प्रशिक्षण वर्ग शुरू करने की योजना है। पूरे परिवार के लिए दो घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इन पांच उपचारों से देवपूजा करने की विधि को पंचोपचार पूजा कहा जाता है। प्रशिक्षण में पूजा की सामग्री, विधि का क्रम, मंत्रोच्चार और उपलब्ध साधनों से घर पर पूजा करने की पद्धति का प्रात्यक्षिक दिया जाएगा। 2 घंटे का यह प्रशिक्षण हिंदू समाज के सभी जाति-समुदायों के लिए निःशुल्क होगा। प्रशिक्षण केंद्र के आसपास रहने वाले परिवारों से अपने सभी सदस्यों के साथ भाग लेने की अपील की गई है और साथ ही मंदिरों, संस्थाओं और नागरिकों से अपील गई है कि मंदिर न्यासी प्रशिक्षण के लिए स्थान और समय उपलब्ध कराएं। अर्चक और पुरोहित पूजाविधि का मार्गदर्शन करें तथा स्थानीय संस्थाएं और मंडल वर्गों के आयोजन में सहयोग दें। पंचोपचार पूजा सीखने के इच्छुक परिवार और प्रशिक्षक के रूप में जुड़ने के इच्छुक महिला-पुरुष अपने क्षेत्र के मंदिर न्यासियों या अभियान के स्थानीय कार्यकर्ताओं से सम्पर्क करें। यह अपील विश्व हिंदू परिषद, मंदिर एवं अर्चक-पुरोहित सम्पर्क आयाम, महाराष्ट्र-गोवा की ओर से की गई है।

- अनिल साम्बरे

50+ YEARS OF MOMENTUM

हर पल PROGRESSIVE

दि कल्याण जनता सहकारी बँक लि.
मल्टी-स्टेट शेड्युल्ड बँक

तुमच्या मेहनतीला आर्थिक चाकांची साथ.

Light Commercial Vehicle
लोनसह स्वप्नांना द्या नवी गती !



कर्ज रक्कम:
₹ १० लाखांपर्यंत*

व्याजदर:
१०%* द. सा. द. शे.

परतफेड कालावधी:
५ वर्षांपर्यंत*

किमान प्रक्रिया शुल्क | जलद कर्ज मंजुरी व वितरण प्रक्रिया

* अटी व शर्ती लागू.

TOLL FREE: 1800 233 1919 kalyanjanata.bank.in KJSBank